भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 256

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा

***256. श्री लालजी वर्माः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक फसल के लिए घोषित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य, वास्तव में खरीदी गई मात्रा (क्विंटल/मीट्रिक टन में) और भुगतान की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जिले के कुल कृषि उत्पादन की तुलना में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों की कुल मात्रा का प्रतिशत कितना है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)</u>

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा’ के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई फसलों का विवरण निम्नानुसार है:

फसलें	2023-24	2024-25	2025-26
	मात्रा मीट्रिक टन में		
धान	135,572.04	156,403.83	162,647.23
गेहूं	1,323.13	8,512.55	9,346.89
सरसों	-	272.57	200.00

(ख): वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान प्रत्येक फसल के लिए घोषित एमएसपी का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान 32,32,48,759.69 मीट्रिक टन गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज तथा कपास की खरीद की गई है और किसानों को कुल 8,32,740.89 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का भुगतान किया गया है।

(ग): सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा तथा केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा एमएसपी पर खरीद की मंजूरी दिए जाने से व्यापारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बाजार मूल्य में यहां तक कि एमएसपी के बराबर या उससे ऊपर भी सुधार होता है। फसलों की खरीद में भाग लेने वाले किसानों तथा खुले बाजार में फसलें बेचने वाले किसानों को एमएसपी घोषणा से लाभ प्राप्त होता है। किसान अपने विपणन योग्य अधिशेष के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेची जाने वाली उपज की मात्रा तय करते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि उन्हें उनकी उपज की एमएसपी से बेहतर मूल्य मिलता है तो वे अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में कृषि फसलों के उत्पादन और खरीद में वृद्धि की प्रवृत्ती रही है।

अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल में)

क्र. सं.	फसलें	किस्म	2023-24	2024-25	2025-26
	खरीफ की फसलें				
1	धान	कॉमन	2183	2300	2369
		ग्रेड 'ए'	2203	2320	2389
2	ज्वार	हाइब्रिड	3180	3371	3699
		मालदंडी	3225	3421	3749
3	बाजरा		2500	2625	2775
4	रागी		3846	4290	4886
5	मक्की		2090	2225	2400
6	तुअर (अरहर)		7000	7550	8000
7	मूंग		8558	8682	8768
8	उड़द		6950	7400	7800
9	मूंगफली		6377	6783	7263
10	सूरजमुखी के बीज		6760	7280	7721
11	सोयाबीन (पीला)		4600	4892	5328
12	तिल		8635	9267	9846
13	नाइजरसीड		7734	8717	9537
14	कपास	मीडियम स्टेपल	6620	7121	7710
		लॉग स्टेपल	7020	7521	8110
	रबी की फसलें				
15	गेहूं		2275	2425	2585
16	यव		1850	1980	2150
17	चना		5440	5650	5875
18	मसूर (दाल)		6425	6700	7000
19	रेपसीड और सरसों		5650	5950	6200
20	कुसुम		5800	5940	6540
21	टोरिया		5650	5950	-
	अन्य फसलें				
22	कोपरा (कैलेंडर वर्ष)	मिलिंग	11160	11582	12027
		बॉल	12000	12100	12500
23	जूट		5050	5335	5650

****